फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

गजाराम पुत्र शेराराम वगैराह बनाम बाबूराम पुत्र शेराराम वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज.काश्तकारी अधि. मुकदमा नम्बर 28 / 2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
04.04.2022	प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर सम्मन जारी हों। पत्रावली दिनांक 04.05.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4/5/22	पत्रावली पेश हुई। आधलत्ता 340। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 30/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/5/22	पत्रावली ... कार्य ... हुक्म ... 20/6/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/6/22	पत्रावली पेश हुई। आधलत्ता 340। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 20/7/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/7/22	पत्रावली ... कार्य ... हुक्म ... 1/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1/8/22	पत्रावली पेश हुई। आधलत्ता 340। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 6/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/9/22	पत्रावली पेश हुई। आधलत्ता 340। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 17/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/10/22	पत्रावली ... कार्य ... हुक्म ... 7/11/22 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मे बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :– 1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो के पक्ष में सिद्व होता है। 2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है। 3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण दोनो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो के पक्ष में निर्धारित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सायबनगर पटवार हल्का चामू तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1886, 1887, 1888 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	

Scanned with OKEN Scanner